संख्या-175/2019/3057/26-3-2019-4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई 2019

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु पूर्व से जारी समय-सारिणी में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1303/स0क0/ शिक्षा-अ/3/181/2019-20, दिनांक-17.07.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु पूर्व से जारी समय-सारिणी में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-137/2019/2125/26-3-2019 -4(215)/90 टी0सी0 प्प्प् दिनांक 04-06-2019 द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी जारी की गयी थी, जिसके अनुसार सत्र 2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा आदि का कार्य 01 जून, 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक किया जाना था।

4- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने अवगत कराया है कि माह जून, 2019 में विभिन्न जनपदों में नवीन जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के कारण उनका डिजिटल हस्ताक्षर समय से प्रमाणित न होने एवं छात्रवृत्ति वेबसाइट सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण मास्टर डाटाबेस में नवीन संस्थाओं को सम्मिलित करना एवं अपडेशन आदि का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जिसके कारण पूर्वदशम के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जायंेगे।

5- इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2019-20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा के कार्य हेतु निम्नवत् संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्रम सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की निर्धारित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र	01 जून, 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक	01 जून, 2019 से 31 जुलाई, 2019 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना		

नोट- संस्था द्वारा 31 जुलाई तक मास्टर डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा। समानान्तर रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्थाओं का डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-175 /2019/3057 (1)/26-3-2019 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/ मा0शिक्षा, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।